173

उपायुक्त का न्यायालय,कोडरमा

कन्फिस्केशन अपील नं0–22/2014

विकास पाण्डेय बनाम झारखण्ड राज्य।

आदेश

अपीलार्थी विकास कुमार पाण्डेय पिता बाल मुकुन्द पाण्डेय, ग्राम–मरचोई, थाना–सतगावॉं, जिला–कोडरमा द्वारा कन्फिस्केशन अपील दायर किया गया है। प्राधिकृत पदाधिकारी सह वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा कन्फिस्केशन केस नं0–15/2011 राज्य बनाम विकास पाण्डेय में दिनांक 24.02.14 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है।

दिनांक 22.09.2015 से अपीलार्थी अनुपस्थित रहे हैं। अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 18.02.2016 को अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया गया कि यदि अपीलार्थी निर्धारित तिथि को अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो अभिलेख में मौजूद दस्तावेजों के आधार पर एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा। वाद की निर्धारित तिथि 03.03.2016 को पुनः अपीलार्थी अनुपस्थित है। अपर लोक अभियोजक, कोडरमा को सुना। संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है :–

दिनांक 24.12.2011 को रेंज ऑफिसर, सतगांवा फॉरेस्ट रेंज और अन्य वन्य कर्मियों द्वारा बिना नंबर के स्वराज्य ट्रैक्टर को रात के अंधेरे में कटे हुए लकड़ी के पोल के साथ ट्रैक्टर को पकड़ा। ट्रैक्टर के ड्राईवर एवं अन्य व्यक्ति गाड़ी छोड़कर फरार हो गये। छान–बीन के उपरान्त उक्त ट्रैक्टर पर 56 (छप्पन) पीस ताजा कटे हुए लकड़ी के पोल बरामद किया गया। कटे हुए लकड़ी के पोल के संबंध में कोई कागजात बरामद नहीं हुए।

रेंज ऑफिसर के द्वारा Prosecution Report में ग्राम–लकराही Protected Forest के प्लॉट नं0–173 से काटे गये थे जो Indian Forest Act की धारा–33,41 एवं 42 का उल्लंघन है। जिला वन पदाधिकारी,कोडरमा के न्यायालय में अपीलार्थी जो वहां विपक्षी थे उनके द्वारा बताया गया कि उक्त लकड़ी विपक्षी के रैयती भूमि से काटे गये है एवं जप्त ट्रैक्टर उनके घर से बरामद हो गये। विकास पाण्डेय विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा यह नहीं बताया गया कि उक्त गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नं0 क्यों नहीं था एवं लकड़ी ले जाने का Transit Permit क्यों नहीं था। जिला वन पदाधिकारी,कोडरमा द्वारा स्वराज्य ट्रैक्टर Modal 735 बिना रजिस्ट्रेशन के इंजन नं0–39.1348/SMK 079990 एवं उस पर लदे 56 (छप्पन) पीस लकड़ी के पोल को Indian Forest Act (Bihar Amendement 1989) Act 1927 की धारा–33,41 एवं 42 के अन्तर्गत दोषी पाते हुए राज्यसात (Confiscate) किया गया है।

अपर लोक अभियोजक, कोडरमा सभी तथ्यों को दर्शाते हुए अपने जवाब में कहा गया है कि बिना नंबर का ट्रैक्टर द्वारा रात के अंधेरे में रिजर्व Forest से 56 (छप्पन) पीस लकड़ी के पोल लेकर बिना परिवहन चालान के ले जाना दर्शाता है कि संगठित अपराध रात में वन पदार्थो का अवैध व्यापार संगठित तरीके से किया जा रहा था जो भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 वन्य पदार्थो का काटना और बिना Transit Permit के ले जाना धारा–33, 41 एवं 42 का अपराध किया गया है।

अभिलेख में संलग्न कागजात, यथा–निम्न न्यायालय का अभिलेख, अपर लोक अभियोजक, कोडरमा द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर के अवलोकन से स्पष्ट है कि Indian Forest Act (Bihar Amendement 1989) Act 1927 की धारा–33, 41 एवं 42 में निहित तथ्यों का उल्लंघन अपीलार्थी विकास पाण्डेय द्वारा किया गया है।

अतः विकास कुमार पाण्डेय पिता बाल मुकुन्द पाण्डेय, ग्राम–मरचाई, थाना–सतगावॉं, जिला–कोडरमा द्वारा दायर अपील को खारिज किया जाता है। जिला वन पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा पारित आदेश यथावत रखते हुए यह निदेश दिया जाता है कि इस वाद में प्राप्त निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं पारित आदेश की प्रति जिला वन पदाधिकारी,कोडरमा के पास आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,कोडरमा।

उपायुक्त
कोडरमा